

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 49/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम 1. नरेन्द्र जैन पुत्र स्व. मानसिंह जैन मैसर्स  
ऋषभ किराणा भण्डार, संकट मोचन  
हनुमान मंदिर के पीछे, काबरा गली,  
बाजार नं. 02 भीलवाड़ा

— प्रार्थी

— विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)  
एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—


- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी उपस्थित

## आदेश

दिनांक 16.01.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी नरेन्द्र जैन पुत्र स्व. मानसिंह जैन मैसर्स ऋषभ किराणा भण्डार, संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे, काबरा गली, बाजार नं. 02 भीलवाड़ा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को खाद्य पदार्थ काजु टुकड़ी इत्यादि का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विक्रता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार काजु टुकड़ी का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की



न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 13.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.07.2022 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।


प्रकरण में विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना काजु टुकड़ी सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने काजु टुकड़ी को विक्रय किया जा रहा था, जिसमें Free fatty acid (ecpresses as oleic acid) precent पर 2.80% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 अनुसार यह 2.0 फोर कट/पीस अधिकतम होना चाहिये। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड काजु टुकड़ी का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने बहस में बताया कि जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। फिर भी पहली गलती मानकर क्षमा किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /325/एफएसएसए/2022/216 दिनांक 24.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, काजु टुकड़ी निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने काजु टुकड़ी को विक्रय किया जा रहा था, जिसमें Free fatty acid (ecpresses as oleic acid) precent पर 2.80% पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 अनुसार यह 2.0 फोर कट/पीस अधिकतम होना चाहिये। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड काजु टुकड़ी का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सबस्टैण्डर्ड काजु टुकड़ी का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड काजु टुकड़ी का




  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य व लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरुवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 25,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान बैंक में जमा करा चालान प्रति न्यायालय में पेश करें।


निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा)  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- 2 श्री नरेन्द्र जैन पुत्र स्व. मानसिंह जैन मैसर्स ऋषभ किराणा भण्डार, संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे, काबरा गली, बाजार नं. 02 भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा)  
भीलवाड़ा